




सूचना विवरण पुस्तिका
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल-14, मैनुअल-15, एवं
मैनुअल-16

(वर्ष 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक)


निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइट-www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in



सूचना विवरण पुस्तिका
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल-14
(01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक)

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइट-www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण।

प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विभिन्न सूचनाओं के जनसाधारण तक निम्न उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जा रहा है:—

- 1— समाचार पत्रों के विज्ञापितियों के प्रकाशन।
- 2— सूचना अनुभाग (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)
- 3—पूछताछ काउन्टर (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)
- 4— विभागीय मैनुअल।
- 5—सी0डी।
- 6— वैबसाइट— w.w.w. schooleducation.uk.gov.in


प्रतिवर्ष विभागीय प्रगति के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति भी जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाती है।

समाचार पत्रों के द्वारा—समय—समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से लोक हित में विभिन्न सूचनाओं को जनसामान्य तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा समाजिक चेतना एवं विभागीय प्रयासों को नाटक के माध्यम से प्रचारित किया जाता है।

प्रदर्शनी के द्वारा— विभिन्न सामाजिक/सांस्कृतिक त्यौहारों पर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को जनसभा तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है।

सूचना पटों के द्वारा— सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत एवं अन्य जनोपयोगी सूचनाओं का प्रकटन निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों के स्तर पर सूचना पटों के द्वारा यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक अद्यतन प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाता है।

अभिलेखों के अवलोकन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा— उपबन्धों के अधीन अनुरोध कर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर सकता है। दस्तावेजों की प्रति प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के करने की व्यवस्था द्वारा—उपबन्धों के अधीन अनुरोध कर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों/दस्तावेजों की प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। उपलब्ध विभागीय मैनुअल्स सूचना का अधिकार अधिनियम— 2005 की धारा—4 द्वारा—अन्तर्गत तैयार किये गये 17 बिन्दुओं पर उपलब्ध मैनुअल्स के निःशुल्क अवलोकन द्वारा ऐसे किसी भी लोक प्राधिकारी के कार्यालय में जहाँ उक्त 17 मैनुअल्स



की प्रति उपलब्ध हो कर सकता है। लोक प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय) के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल्स

संख्या 15 सम्बन्धित बैवसाइट का विवरण उपलब्ध कराया गया है। अन्य प्रचार प्रसार के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जनहित, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों आदि के हित में समय-समय पर बैठक की जाती है।, प्रगति प्रतिवेदन, शैक्षिक डायरी इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराया जाना यथा सम्भव सुनिश्चित किया जाता है।

नाटक/नुक्कड़- विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा सामाजिक/सांस्कृतिक त्यौहारों पर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को जनसभा तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है।

सूचना पटों के द्वारा- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एवं अन्य जनापयोगी सूचनाओं का प्रकटन निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर सूचना पटों के द्वारा यथासम्भव अधिकतम सीमा तक अद्यतन प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाता है।

अभिलेखों के अवलोकन द्वारा- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों के अधीन अनुरोधकर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर सकता है।

दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था द्वारा- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के उपबन्धों के अधीन अनुरोधकर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों/दस्तावेजों के प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं।





सूचना विवरण पुस्तिका
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल-15
(01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक)

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून ।

वैब साइट-www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जनसाधारण को विभाग के विषय में सामान्य जानकारी एवं विभिन्न क्रियाकलापों में जानकारी प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में

w.w.w.gov.in.schooleducation पर सामग्री उपलब्ध करायी गयी है।

विभाग की बैवसाइट पर निम्न बिन्दुओं पर सूचनाएं प्रस्तुत की गयी हैं:

- 1- विभाग की सामान्य जानकारी।
- 2- प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, अध्यापक संख्या एवं छात्र संख्या।
- 3- सूचना अधिकार का विवरण (मैनुअल 01 से 17)
- 4- वार्षिक बजट।
- 5- राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012
- 6- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1985
- 7- उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग की ज्येष्ठता सूची।
- 8- उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व।
- 9- उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011
- 10- मिनिस्ट्रियल संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों के लिए वार्षिक गोपनीय आख्या प्रपत्र
- 11- विभागीय ढेंचा।
- 12- प्रशासन योजना।
- 13- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण विधेयक-2017

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।


सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण।

प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विभिन्न सूचनाओं के जनसाधारण तक निम्न उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जा रहा है:-

- 1- समाचार पत्रों के विज्ञापितियों के प्रकाशन।
- 2- सूचना अनुभाग (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)
- 3- पूछताछ काउन्टर (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)
- 4- विभागीय मैनुअल।
- 5- सी0डी।
- 6- बैवसाइट- w.w.w. schooleducation.uk.gov.in

प्रतिवर्ष विभागीय प्रगति के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति भी जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाती है।

समाचार पत्रों के द्वारा-समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से लोक हित में विभिन्न सूचनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा समाजिक चेतना एवं विभागीय प्रयासों को नाटक के माध्यम से प्रचारित किया जाता है।



प्रदर्शनी के द्वारा- विभिन्न सामाजिक/सांस्कृतिक त्यौहारों पर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को जनसभा तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है।

सूचना पटों के द्वारा- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एवं अन्य जनोपयोगी सूचनाओं का प्रकटन निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों के स्तर पर सूचना पटों के द्वारा यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक अद्यतन प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाता है।

अभिलेखों के अवलोकन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा- उपबन्धों के अधीन अनुरोधकर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर सकता है। दस्तावेजों की प्रति प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के करने की व्यवस्था द्वारा-उपबन्धों के अधीन अनुरोधकर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों/दस्तावेजों की प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। उपलब्ध विभागीय मैनुअल्स सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा-4 द्वारा-अन्तर्गत तैयार किये गये 17 बिन्दुओं पर उपलब्ध मैनुअल्स के निःशुल्क अवलोकन द्वारा ऐसे किसी भी लोक प्राधिकारी के कार्यालय में जहाँ उक्त 17 मैनुअल्स की प्रति उपलब्ध हो कर सकता है। लोक प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय) के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल्स संख्या 15 सम्बन्धित बैवसाइट का विवरण उपलब्ध कराया गया है। अन्य प्रचार प्रसार के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जनहित, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों आदि के हित में समय-समय पर बैठक की जाती है।, प्रगति प्रतिवेदन, शैक्षिक डायरी इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराया जाना यथा सम्भव सुनिश्चित किया जाता है।

नाटक/नुक्कड़- विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा सामाजिक/सांस्कृतिक त्यौहारों पर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को जनसभा तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है।

सूचना पटों के द्वारा- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एवं अन्य जनोपयोगी सूचनाओं का प्रकटन निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर सूचना पटों के द्वारा यथासम्भव अधिकतम सीमा तक अद्यतन प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाता है।

अभिलेखों के अवलोकन द्वारा- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों के अधीन अनुरोधकर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर सकता है।

दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था द्वारा- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के उपबन्धों के अधीन अनुरोधकर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों/दस्तावेजों के प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं।





सूचना विवरण पुस्तिका
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल-16
(01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक)

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइट-www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

विभागीय अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी

क्र० सं०	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	टेलीफोन नं०	ई-मेल
01	श्री एस० पी० खाली	विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर निदेशक, प्रा०शि० निदेशालय उत्तराखण्ड।	शिक्षा विभाग	0135-2781827 0135-2781828	w.w.schooleducation.uk.gov.in
02	श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त निदेशक, प्रा०शि० निदेशालय उत्तराखण्ड।	शिक्षा विभाग	0135-2781827 0135-2781828	w.w.schooleducation.uk.gov.in

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी			विभागीय अपीलीय अधिकारी				
क्र० सं०	पदनाम	विभाग का नाम	अराजपत्रित / राजपत्रित	क्र०सं	पदनाम	विभाग का नाम	अराजपत्रित / राजपत्रित
1	लोक सूचना अधिकारी / संयुक्त निदेशक, प्रा०शि० निदेशालय उत्तराखण्ड	प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय स्तर	राजपत्रित	1	विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर निदेशक, प्रा०शि० निदेशालय उत्तराखण्ड	प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय स्तर	राजपत्रित
मण्डल स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी							
लोक सूचना अधिकारी				विभागीय अपीलीय अधिकारी			
क्र० सं०	पदनाम	विभाग का नाम	अराजपत्रित / राजपत्रित	क्र०सं	पदनाम	विभाग का नाम	अराजपत्रित / राजपत्रित
1	लोक सूचना अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अपर निदेशक, प्रा०शि०, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायूँ मण्डल नैनीताल	प्रारम्भिक शिक्षा (मण्डल स्तर)	राजपत्रित	1	विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर निदेशक, प्रा०शि०, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायूँ मण्डल नैनीताल	प्रारम्भिक शिक्षा (मण्डल स्तर)	राजपत्रित

कृष्ण

जनपद स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी				विभागीय अपीलीय अधिकारी			
क्र० सं०	पदनाम	विभाग का नाम	अराजपत्रित / राजपत्रित	क्र० सं०	पदनाम	विभाग का नाम	अराजपत्रित / राजपत्रित
1	लोक सूचना अधिकारी / समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रो०शि० उत्तराखण्ड	प्रारम्भिक शिक्षा (जनपद स्तर)	राजपत्रित	1	विभागीय अपीलीय अधिकारी / समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड	प्रारम्भिक शिक्षा (जनपद स्तर)	राजपत्रित
ब्लॉक पर नामित लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी							
लोक सूचना अधिकारी				विभागीय अपीलीय अधिकारी			
क्र० सं०	पदनाम	विभाग का नाम	अराजपत्रित / राजपत्रित	क्र० सं०	पदनाम	विभाग का नाम	अराजपत्रित / राजपत्रित
1	लोक सूचना अधिकारी / समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रो०शि० उत्तराखण्ड	प्रारम्भिक शिक्षा (ब्लॉक स्तर)	राजपत्रित	1	विभागीय अपीलीय अधिकारी / समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रो०शि०, उत्तराखण्ड	प्रारम्भिक शिक्षा (ब्लॉक स्तर)	राजपत्रित

के.ए.ए.